संचिका सं०–17/ए 2–03/2011

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

पटना, दिनांक :–

विषय :– स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के 1171 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–07/2017 से 31/2017 के अधीन परीक्षाफल के निर्माण हेतु विशेषज्ञों की एक समिति आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1189 दिनांक–19.08.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–7/2017 से 31/2017 आलोक में परीक्षाफल के प्रकाशन में सहयोग हेतु निम्न 04 विषयों के कुल 12 चिकित्सक शिक्षकों को विशेषज्ञ के रूप में आयोग में दिनांक–30.08.2019 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

विज्ञापन संख्या	विषय	चिकित्सक शिक्षक का नाम	पदनाम	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
11/2017	माइक्रोबायोलॉजी	डा० हीरालाल महतो,	प्राध्यापक,	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
		डा0 सत्येन्द्र नारायण सिंह,	प्राध्यापक,	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
		डा0 उमेश शर्मा	प्राध्यापक,	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
18/2017	सर्जरी	डा0 इन्द्रशेखर ठाकुर,	प्राध्यापक,	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
		डा0 विमल मुकेश,	प्राध्यापक,	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय (प्रतिनियुक्त --पी0एम0सी0एच0)
		डा0 निर्मल कुमार सिन्हा,	सह–प्राध्यापक,	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
22/2017	नेत्र	डा0 शेखर चौधरी,	प्राध्यापक,	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
		डा0 राजेश तिवारी,	प्राध्यापक,	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
		डा0 उमेश प्रसाद भदानी,	प्राध्यापक	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
20/2017	स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग	डा0 चन्द्रकिरण,	प्राध्यापक,	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
		डा0 ममता सिंह,	प्राध्यापक,	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
		डा0 गीता सिंह,	प्राध्यापक,	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

अतः सारणीगत् चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एवं संशोधित नियमावली–2013 के सुसंगत/प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में वे अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव/जर्नल्स के अंकों की गणना करेंगे।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

D:/vibha ji/letter

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक :–17/ए 2–03/2011 – 651 (17) पटना, दिनांक :– 21/8/19

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षक निदेशित हैं कि वे अविलंब अपना योगदान दिनांक– 22.08.2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक आयोग में समर्पित करेंगे अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को निदेशित किया जाता है कि आयोग में प्रतिनियुक्त संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को अविलंब विरमित करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/08/19

सरकार के अवर सचिव।

Scanned by CamScanner